संख्याः नि0 2407/3-5 (उ0बां0रे0वि0परिषद)

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन/फैक्सः-0135-2741607,2742641
ई-मेलः-ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

मुख्य कोषाधिकारी,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

देहरादून दिनांक, 21 जून, 2017।

विषय– वित्तीय वर्ष 201–18 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना "2406–01–102–07–00–उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद" हेतु कोषागार मदों में बजट का आवंटन।

संदर्भ– शासनादेश सं0 898/X-2-2017-12(26)/2012 दि0 16 जून, 2017 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न **अलॉटमेंट आई डी–S1706270093** दिनांक 16.06.2017 से वित्तीय वर्ष 2017–18 में वन विभाग के अनुदान संख्या–27 की राज्य सैक्टर योजना **"2406–01–102–07–00–उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद"** हेतु **कोषागार मदों** में वर्तमान में अवमुक्त धनराशि **₹,10,00,000/– (₹ दस लाख मात्र)** का **ऑन लाइन आवंटन** विभाग के आहरण वितरण अधिकारी–**प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को (उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के उपयोगार्थ)** निम्न **शर्तो एवं प्रतिबन्धों** सहित जारी करते हुये **प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति** संलग्न कर प्रेषित की जाती है। कृपया सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से **कोषागार मदों** में प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।

1. आवंटित धनराशि उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद के कार्यो के संचालन हेतु उनकी वास्तविक एवं औचित्यपूर्ण आवश्यकतानुसार ही आंवटित की जायेगी।
2. धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा एवं अवशेष धनराशि समर्पित कर दी जायेगी।
3. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1) दिनांक 31.03.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायें।
4. आवंटित धनराशि का उपयोग वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–' (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम ((बजट मैनुअल) तथा संदर्भित शासनादेश, शासनादेश संख्या 177/XXXVII(7)/2008 दिनांक 01 मई 2008, **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) नियमावली 2008, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमैंट) (संशोधन) नियमावली 2015** तथा समय–समय पर जारी संगत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
5. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अर्न्तगत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और नही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
6. धनराशि का व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जायें तथा जहॉ आवश्यकता हो तो सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
7. अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण **निर्धारित प्रपत्र बी.एम.–4** में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की **पहली तारीख तक** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

.....2/.......

संख्याः नि0 2407 (1)/3–5 (उ0बां0रे0वि0परिषद) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा,देहरादून।

2– महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।

3– सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

4– सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

5– अपर सचिव, वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

6– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।

7– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8– **मुख्य कार्यकारी अधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद, देहरादून**। कृपया सदंर्भित शासनादेश व उक्त **पैरा–1 से 7** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन करते हुये अवमुक्त धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाये।

9– आहरण वितरण अधिकारी–**प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून**। कृपया सदंर्भित शासनादेश तथा उक्त **पैरा–1 से 7** में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते/कराते हुए अवमुक्त धनराशि का भुगतान **उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद** को किया जाये।

10– उप वन संरक्षक, आइ0टी0सैल कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Principal Chief Conservator of Forest (4260)

आवंटन पत्र संख्या - Ni-2407/3-5 | **अलोटमेंट आई डी - H1706271042**

अनुदान संख्या - 027 | **आवंटन पत्र दिनांक** -21-Jun-2017

DDO Name - DFO Dehradun Forest DivisionDehradun (4257) , Treasury - Dehradun (0100)

1: **लेखा शीर्षक** 2406 - वानिकी तथा वन्य जीवन 01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

07 - उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद

00 - उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद की मानव संसाधन एवं अनुसंधान विकास

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	1000000	1000000
	0	**1000000**	**1000000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 1000000